प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

आपराधिक अपील क्रमांक 672/2012

(अपर सत्र न्यायाधीश बालोद के द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक–112/2011 में घोषित निर्णय दिनांक–10.05.2012 से उद्भूत)

निर्णय सुरक्षित दिनांक–23.11.2022

निर्णय घोषित दिनांक–13.12.2022

बबलू उर्फ बब्बू उर्फ छोटू तिवारी आत्मज– श्री छबिलाल तिवारी, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी–जवाहरपारा, थाना–बालोद, जिला–दुर्ग अब बालोद (छ.ग.)

––––––––––**अपीलार्थी**

विरूद्ध

छ.ग. राज्य द्वारा थाना प्रभारी, थाना–बालोद, जिला–दुर्ग अब बालोद(छ.ग.)

––––––––––**उत्तरवादी**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी द्वारा	श्री बी.पी.सिंग अधिवक्ता
उत्तरवादी/राज्य द्वारा	श्री सुदीप वर्मा, उप शासकीय अभिभाषक

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल एवं
माननीय श्री राकेश मोहन पांडे, जे.जे.

सी.ए.व्ही.निर्णय

संजय के अग्रवाल न्यायाधीश

1– यह अपील अंतर्गत धारा–374(2) द.प्र.सं. के अंतर्गत आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलार्थी को धारा–450, 392 सहपठित धारा–397 एवं 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत सिद्धदोष ठहराते हुए क्रमशः दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100/– अर्थदंड जिसकी अदायगी न किए जाने पर तीन महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास, दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100/– रूपये अर्थदंड जिसकी अदायगी न किए जाने पर तीन महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं आजीवन कारावास और 100/– अर्थदंड जिसकी अदायगी न

किए जाने पर तीन महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने हेतु आदेशित किया गया है।

2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक— 14.09.2011 को सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे के मध्य ग्राम खपरी में अपीलार्थी के द्वारा मृतक फुलवाबाई के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया और सोने के आभूषण व नगद रकम 6,000/— की लूट कारित कर कपड़ा (दुपट्टा) से उसके गले को घोट कर अपराध कारित किया गया। अभियोजन का यह भी मामला है कि कुशल राम (अ.सा.1) के द्वारा सूचना दिए जाने पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया गया जिसके पश्चात् शव पंचनामा प्र.पी.23 की कार्यवाही करने के उपरांत पंचों के द्वारा शव परीक्षण के संबंध में राय व्यक्त करने पर मृत शरीर को शव परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया, जिसे डॉ. एस.के. सोनी(अ.सा.3) के द्वारा किया गया, जिन्होंने शव परीक्षण के पश्चात् प्र.पी. 8 का यह अभिमत दिया कि मृतिका की मृत्यु दांहिने कटि क्षेत्र (पेट के पिछले भाग) में भारी बल लगाने से दांहिने किडनी के फटने के कारण हृदय गति रूकने से शॉक के कारण हुई थी और मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक स्वरूप की थी। शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने मृतिका के शरीर पर तीन चोटों का निशान होना पाया था। नजरी नक्शा प्र.पी.3 तैयार किया गया एवं मटमैला दुपट्टा प्र.पी.11 के अनुसार जप्त किया गया था। अन्य वस्तुएं प्र.पी.10 के अनुसार जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। अपीलार्थी का प्रकटीकरण कथन प्र.पी.9 लेखबद्ध किया गया, जिसकी निशानदेही पर एक जोड़ी चांदी का पायल, चांदी का चैन एवं अन्य सोने एवं चांदी के आभूषण प्र.पी.13 के अनुसार जप्त किया गया एवं अन्य वस्तुएं प्र.पी.14 से प्र.पी.16 के अनुसार जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। जप्तशुदा आभूषणों का नापतौल पंचनामा प्र.पी.21 के अनुसार तैयार किया गया जिसके पश्चात् जप्तशुदा आभूषणों की पहचान की कार्यवाही प्र.पी.6 कराई गई जिसमें गीता बाई (अ.सा.2) के द्वारा जप्तशुदा आभूषण उसकी मां की होने के संबंध में पहचान की गई, जो विजय कुमार (अ.सा.4) एवं चिमन लाल पटेल (अ.सा.8) के द्वारा साबित हुई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3— साक्षियों के धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किए गए। अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्त/अपीलार्थी के विरूद्ध धारा—450, 302 एवं 392 सहपठित धारा—397 भा.दं.सं. के अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता वाले आपराधिक

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं मामले को सत्र न्यायाधीश को उपार्पित किया गया, जिसे अपर सत्र न्यायाधीश बालोद को विचारण हेतु प्रेषित किए जाने पर अंतरण पर प्राप्त होने के उपरांत विचारण के पश्चात् एवं सुनवाई उपरांत प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण विधि के अनुसार किया गया।

4— अभियुक्त/अपीलार्थी के द्वारा अपराध किए जाने से इंकार करते हुए अपने बचाव में यह कथन किया कि उसके द्वारा अपराध कारित नहीं किया गया तथा उसे झूठा फंसाया गया है। अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 9 साक्षियों का परीक्षण कराया गया एवं 27 दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित किया गया। बचाव पक्ष के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में न ही किसी साक्षी का परीक्षण कराया और न ही किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5— विचारण न्यायालय के द्वारा अभिलेख में उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के उपरांत अपीलार्थी को धारा 450, 392 सहपठित धारा—397 एवं 302 भा.दं.सं. के आरोप में इस निर्णय के प्रारंभिक कंडिका में उल्लेखित दंड से दंडित कर निर्णय घोषित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील धारा 374 (2) दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया।

6— अपीलार्थी की ओर से उपस्थित श्री बी.पी.सिंग विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराते हुए कारावास से दंडित करने में तथ्यों एवं मामले की परिस्थितियों व उपलब्ध दस्तावेजों के विपरीत जा कर किए जाने के कारण अपीलार्थी को की गई दोषसिद्धी एवं कारावास का दंड अपास्त किए जाने योग्य है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट डी.सी.बंजारे जिनके द्वारा शिनाख्ती की कार्यवाही प्र.पी.6 करायी गयी है, उनका परीक्षण नहीं कराया गया है जो अभियोजन के मामले के लिए घातक है एवं प्र.पी.6 को अभियोजन साक्षियों के द्वारा विधि अनुसार साबित नहीं किया है, जिसके कारण अपीलार्थी को धारा—302 भा.दं.सं. के अंतर्गत सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता है एवं अधिक से अधिक अभियुक्त को केवल चोरी के अपराध में ही सिद्धदोष ठहराया जा सकता है परंतु उसकी दोषसिद्धी धारा 302 भा.दं.सं. में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है व अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

7— राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित श्री सुदीप वर्मा विद्वान उप शासकीय अभिभाषक ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि यह संपूर्ण प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और इस मामले में सर्वप्रथम अपीलार्थी, घटना के एक सप्ताह पूर्व मृतिका के घर गया था एवं इसके पश्चात् घटना दिनांक को अन्य परिवार के सदस्यों के अनुपस्थिति में अनाधिकृत रूप से मृतिका के घर में प्रवेश कर गृह—अतिचार कारित करते हुए उसकी हत्या कर आभूषणों की लूट कारित की गई है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन प्र.पी.9 के आधार पर सोने एवं चांदी के आभूषण प्र.पी.13 के अनुसार जप्त किए गए हैं और उन वस्तुओं को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शिनाख्ती की कार्यवाही प्र.पी.6 के दौरान गीता बाई(अ.सा.2) के द्वारा पहचान किया गया है और शिनाख्ती की कार्यवाही चिमनलाल पटेल(अ.सा.8) के द्वारा साबित भी की गई है। इस प्रकार यह पूर्णत : सिद्ध है कि अपीलार्थी न केवल अनाधिकृत रूप से मृतिका के घर में प्रवेश कर गृह—अतिचार कारित किया बल्कि मृतिका की हत्या कारित कर मृतिका के पहने व रखे गये सोने व चांदी के आभूषणों की लूट कारित की गई जिसे अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन के आधार पर अपीलार्थी के कब्ज से ही बरामद की गई है जिसके कारण विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को उचित रूप से सिद्धदोष ठहराया गया है और यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8— हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं उनके द्वारा दिए गए दलीलों पर विचार किया एवं अभिलेख का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया।

9— यहां प्रथम प्रश्न यह विचारणीय है कि क्या विचारण न्यायालय के द्वारा मृतिका फुलवाबाई की मृत्यु की प्रकृति को हत्यात्मक स्वरूप की होना निर्धारित किया जाना न्यायसंगत है?

10—विचारण न्यायालय के द्वारा चिकित्सकीय साक्षी डॉ. एस.के. सोनी (अ.सा.3) के कथनों एवं शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.8 जिसके अनुसार मृतिका के दांहिने किडनी के फट जाने एवं हृदयगति के रूक जाने और शॉक के कारण मृत्यु हो जाने के कारण मृतिका की मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक स्वरूप होने के संबंध में निर्धारित किया है। विचारण न्यायालय के द्वारा इस संबंध में अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर मृतिका फुलवाबाई की मृत्यु की

प्रकृति को हत्यात्मक स्वरूप की निर्धारित किया गया है जो अभिलेख के आधार पर न ही विरोधाभाषी है और न ही विकृत है, जिसके कारण इस संबंध में दिए गए निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है। यहां तक की अपीलार्थी की ओर से इस संबंध में कोई सुसंगत प्रश्न नहीं पूछा गया।

11–अगला प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी के द्वारा ही अपराध कारित किया गया है?

12–अपीलार्थी को मृतिका की पुत्री गीताबाई(अ.सा.2) के द्वारा पहचाना गया है। न्यायालय के समक्ष उसने कंडिका 1 में यह कथन किया है कि वह अपीलार्थी को पहचानती है तथा आगे यह भी कथन किया है कि घटना के एक सप्ताह पूर्व अपीलार्थी उनके घर में आया था और उसने अपना फोन नंबर भी उसे दिया था व उसने घर में चाय भी पिया था। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से साबित है कि घटना के पूर्व अपीलार्थी, मृतिका एवं गीताबाई(अ.सा.2) के घ ार गया था एवं उसने मृतिका एवं उसके परिवार के सदस्यों विशेषतः गीताबाई(अ.सा.2) के साथ अपने संबंध को बढ़ाने का प्रयास किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13–डॉ. एस.के.सोनी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बालोद (अ.सा.3) के द्वारा मृतिका का शव परीक्षण किया गया था, जिसमें उनके द्वारा मृतिका के शरीर में तीन चोटें पाई गई थी, जो निम्नानुसार हैः–

1– गले के आंतरिक भाग पर थाईराईड कार्टिलेज एवं मेस्टोईड के बांयी ओर 2 गुणा 2 से.मी. एवं 1.5 गुणा 1 से.मी.।

2– कमर/कटि के दांहिने ओर आंतरिक भाग पर 12 गुणा 7 से.मी. की चोट, 9वें, 10वें, 11वें पसलियों में अस्थिभंग था।

3– दांहिने घुटने के आंतरिक भाग (एंटेरियर) में 2 गुणा 3 से.मी. की खरोंच थी।

14– चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस.के.सोनी (अ.सा.3) के कथनों का सूक्ष्मता से परिशीलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि मृतिका के गले में खरोंच के अतिरिक्त बांयी ओर के पसलियों के 9वें, 10वें एवं 11 वें भाग पर अस्थिभंग पाया गया था, दांहिना किडनी फटा हुआ था एवं परिणाम स्वरूप मृतिका की मृत्यु शॉक से हुई थी। चोट क्रमांक 3 मृतिका के दांहिने घुटने पर खरोंच 2 गुणा 3 से.मी. था। इस प्रकार डॉ.एस.के.सोनी (अ.सा.3) के कथनानुसार मृतिका के शरीर पर प्रतिरोध के कारण शरीर पर निशान मौजूद थे।

15– घटना दिनांक 14.09.2011 की सुबह 10:00 बजे और शाम 05:00 बजे के

मध्य की है तथा थाने को दिनांक 14.09.2011 को रात्रि 09:05 बजे सूचना प्राप्त हुई है। अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया जाकर उसका प्रकटीकरण कथन प्र.पी.9 दिनांक 15.09.2011 को दोपहर 02:40 बजे लेखबद्ध किया गया और अपीलार्थी के कब्जे से दिनांक 15.09.2011 को ही चांदी की पायल, चांदी की चैन एवं अन्य सोने के आभूषण प्र.पी.13 के अनुसार विजय कुमार (अ.सा.4) एवं चिमनलाल पटेल (अ.सा.8) की उपस्थिति में जप्त किया गया है।

16—विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सूचना जो किसी तथ्य की खोज करती हो या किसी नये तथ्य का प्रकट होता हो उसी सीमा तक सुसंगत होती है। शब्द 'तथ्य' का तात्पर्य खोज या महत्वपूर्ण तथ्य जो सूचना से सीधे संबंधित हो। जैसा कि सर जॉन ब्योमोंट ने **पुलुकुरी कोटैय्या विरूद्ध किंग एंपरर ए.आई.आर. 1947 पी.सी. 67** के मामले में अभिनिर्धारित किया था,

> ''धारा के अंतर्गत खोजे गये तथ्य को किसी वस्तु को प्रस्तुत किए जाने के समान माना जाना गलत है, खोजे गए तथ्य में वह स्थान शामिल है जहां किसी वस्तु की खोज की जाती है या प्राप्त होती है और अभियुक्त को इस संबंध में जानकारी है तथा दी गई सूचना इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17—**पुलकुरी कोटय्या ए.आई.आर. 1947 पी.सी. 67** में प्रतिपादित सिद्धांतो के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **असर मोहम्मद एवं अन्य विरूद्व स्टेट ऑफ यू.पी. ए.आई.आर. 2018 एस.सी. 5264** में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में प्रयुक्त शब्द ''तथ्य'' के संदर्भ में लिया गया है और यह निर्धारित किया गया है कि तथ्यों का स्वपरीक्षण होना आवश्यक नहीं है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में प्रयुक्त शब्द ''तथ्य'' ''वास्तविक भौतिक वस्तु'' तक सीमित नहीं है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी तथ्य की खोज इस तथ्य के कारण होती है कि अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कोई स्थान विशेष और किसी वस्तु की बरामदगी होती है जो उसके ज्ञान और सूचना देने वाले के मनस पटल पर रहती है, स्थान जहां से वह वस्तु प्रस्तुत की गई है और अभियुक्त को उसके अस्तित्व के बारे में ज्ञान है।

18—साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को लागू करने के लिए दो शर्ते पूर्वाक्षेपित है, अर्थात् (1) सूचना ऐसी होनी चाहिए जिससे तथ्य की खोज हुई हो, और (2) सूचना खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए। वर्तमान मामले में घटना दिनांक 14.09.2011 को सुबह 10.00बजे से शाम 5.00बजे के मध्य

कारित हुई थी और दिनांक 15.09.2011 को दोपहर 3:45बजे अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन के आधार पर उसके कब्जे से वस्तुएं बरामद की गई है। इस प्रकार प्रकटीकरण कथन के आधार पर अपीलार्थी की निशानदेही पर जप्तशुदा वस्तुएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 की शर्तों को पूर्ण करती है और अपीलार्थी के द्वारा प्रकटीकरण कथन **प्र.पी.9** धारा 27 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से साक्ष्य में ग्राह्य है।

19—अब, मृतिका की पुत्री गीता बाई (अ.सा.2) के द्वारा 11 जप्तशुदा वस्तुओं की पहचान की गई है जो सुसंगत समय पर मृतिका के साथ रहती थी, यद्यपि घ टना के समय वह घर पर उपस्थित नहीं थी। गीता बाई(अ.सा.2) जिसका न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया है और उसने जप्तशुदा वस्तुओं की पहचान प्र.पी.6 की कार्यवाही को पूर्णतः साबित किया है जैसा कि वह अपनी मां के साथ रहती थी एवं कंडिका 23 में उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि पहचान की कार्यवाही के समय कोई पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं था और उसने अपनी मां के सोने एवं चांदी के आभूषणों की पहचान किया था।

20—इतना ही नहीं बल्कि चिमनलाल पटेल (अ.सा.8) पंच साक्षी का भी परीक्षण कराया गया है जिसने न केवल प्रकटीकरण कथन को साबित किया है बल्कि सोने व चांदी के आभूषणों की शिनाख्ती की कार्यवाही को भी साबित किया है। उसका जटिल व विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया परंतु उससे ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया जा सका जिससे यह निर्धारित किया जा सकता हो कि शिनाख्ती की कार्यवाही विधि अनुसार संपादित नहीं की गई थी, किन्तु उसने स्पष्ट कथन किया है कि शिनाख्ती की कार्यवाही के दौरान पुलिस के कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं थे और शिनाख्ती की कार्यवाही कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित करायी गयी थी। हम इस संबंध में निष्कर्ष देते हैं कि जप्तशुदा आभूषणों की शिनाख्ती की गई थी यद्यपि इस प्रकार के आभूषण गांवों में सामान्य उपयोग में लाये जाते हैं परंतु गीताबाई (अ.सा.2) मृतिका की पुत्री ने मृतिका के जप्तशुदा आभूषणों की पहचान करने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं किया है और उसने चांदी की पायल, चेन, मंगलसूत्र आदि जो उसके मां की थी जैसा कि प्र.पी.6 में उल्लेखित है की पहचान स्पष्ट रूप से किया है। **एराभद्राप्पा उर्फ कृष्णाप्पा विरूद्ध कर्नाटक राज्य (1983) 2 एस.सी.सी.330** में अभिनिर्धारित किया गया है कि यह सामान्य विवेक का विषय है कि स्त्रियों में अपने सामानों विशेष कर परिवार में व्यक्तिगत रूप से उपयोग किये जाने वाली वस्तुओं को पहचानने में विलक्षण/अद्भूत समझ होती है। इस प्रकार अपीलार्थी की ओर से किया गया यह निवेदन कि अपीलार्थी का प्रकटीकरण कथन और उसके निशानदेही पर जप्ती की कार्यवाही को विधिक तरीके से साबित नहीं किया गया है एवं अभूषणों की पहचान की कार्यवाही उचित तरीके से आयोजित नहीं की गई है, के संबंध में कोई आधार नहीं है और इसलिए अपीलार्थी का लिया गया यह आधार निरस्त किए जाने योग्य होने से निरस्त किया जात है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

21—अब अपीलार्थी की ओर से आगे यह भी निवेदन किया गया है कि यदि जप्तशुदा वस्तुएं मृतिका की थी और अपीलार्थी के कब्जे से बरामद भी की गई है तब भी वह केवल धारा—379 भा.दं.सं. के आरोप में ही सिद्धदोष ठहराया जा सकता है परंतु उसे धारा—302 भा.दं.सं. के अंतर्गत सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता जबकि राज्य/उत्तरवादी का यह मामला है कि जहां हत्या एवं लूट के आवश्यक तथ्यों को साबित कर दिया जाता है और समान संव्यवहार हो और फलस्वरूप धारा 114 के दृष्टांत के अंतर्गत यह उपधारणा की जायेगी कि अपीलार्थी ने ही न केवल मृतिका की हत्या कारित की है बल्कि मृतिका के सोने और चांदी के आभूषणों की लूट भी कारित किया है जो एक ही संव्यवहार का भाग है, अभियोजन के द्वारा अपीलार्थी को अपराध मे संलिप्त होने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया गया है।

22—अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क के परिप्रेक्ष्य में धारा 114 के दृष्टांत (अ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का परिशीलन किया जाना उपयुक्त होगा जिसमें यह कहा गया हैः—

> ''114 न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा—न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राईवेट कारबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह संभाव्य समझता है।
>
> दृष्टांत
>
> न्यायालय उपधारित कर सकेगा—
>
> (अ) की चुराए हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, या तो वह चोर है या उसने माल को चुराए हुए जानते हुए प्राप्त किया है।''

23—विवादित तथ्य को स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कुछ प्रत्यक्ष या भौतिक तथ्य या परिस्थितियां विद्यमान होनी चाहिए जिनसे ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सके। किसी तथ्य के प्रमाण का निष्कर्ष वस्तुओं की खोज को प्रत्यक्ष या परिस्थिति जन्य साक्ष्य से माना जा सकता है। (देखें **आर. पुथुनैनार अलहिथन एवं अन्य विरूद्व पी.एच. पंडियन एवं अन्य ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 1599**)

24—इसके अलावा उपरोक्तानुसार धारा में दिए गए दृष्टांत संपूर्ण नहीं है बल्कि मुख्य प्रावधानों के सुसंगत सिद्धांतों को दर्शाते हैं। उस प्रावधान के अंतर्गत की जाने वाली उपधारणा तथ्य की है और क्या किसी विशेष मामले में लागू किया जाना चाहिए या नहीं यह प्रत्येक मामले की परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

है।

25—**तुलसीराम कानू विरूद्व स्टेट ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 1** के मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (अ) पर विचार किया गया है जिसमें उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 का दृष्टांत (अ) को महत्वपूर्ण समय कारक के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यदि मृतिका के आभूषण या वस्तुएं, हत्या के ठीक पश्चात किसी व्यक्ति के कब्जे में पाई जाती है तो दोषी होने के बारे में उपधारणा की जा सकती है, परंतु यदि कई महीने के अंतराल व्यतीत होने के पश्चात् मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की उपधारणा के संबंध में अनुमति नहीं दी जा सकती है।

> ''7. इस संस्वीकृति के अलावा उच्च न्यायालय का निर्णय सोने के आभूषण की शिनाख्ती पर आधारित है। सत्र न्यायाधीश ने यह माना है कि यदि यह साबित हो जाता कि आभूषण, मृतिका की संपत्ति थी तब इस संबंध में उपधारणा की जा सकती थी कि अभियुक्त ही वह व्यक्ति है जिसने हत्या और लूट कारित किया है। हमारी राय में यह निष्कर्ष प्रकरण की परिस्थितियों के आलोक में तर्क संगत नहीं है। कथित हत्या दिनांक 28.05.1949 को हुई थी और यह मानते हुए कि आभूषण अक्टूबर 1949 के माह के अंत में अभियुक्त के कब्जे से पाये गये थे, अपीलार्थी के द्वारा मृतिका की हत्या कारित किए जाने के संबंध में कोई वैध निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को कि घटना घटित होने के पांच माह व्यतीत हो जाने के पश्चात आभूषणों की बरामदगी की गई थी, को नजरअंदाज किया गया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (अ) के अंतर्गत की जाने वाली उपधारणा को महत्वपूर्ण समय कारक के साथ पढ़ा जाना है। यदि आभूषण या वस्तुएं मृतक की हत्या की ठीक पश्चात् किसी व्यक्ति के कब्जे में पाई जाती तो उसके हत्या कारित किए जाने की उपधारणा की जा सकती है। परंतु यदि कई महीने व्यतीत हो चुके है उस स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष के लिए इस आलोचना को लागू करते हुए समान रूप से कारण दिया है।

26—इसके पश्चात **वसीम खान विरूद्व उत्तर प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 400** के मामलें में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस निष्कर्ष के लिए की क्या साक्षियों से यह तथ्य स्थापित होता है कि अपीलार्थी ने रामदुलारे की हत्या कारित कर लूट किया है और माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा तत्काल एवं चोरी की गई वस्तुओं के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना हत्या के साक्ष्य के साथ—साथ लूट के संबंध में भी उपधारित साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है।

27—इसके पश्चात **अलीशेख विरूद्व स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश (1974) 4 एस.सी.सी.**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

254 उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (अ) से यह स्पष्ट है कि समय एक महत्वपूर्ण कारक है और न्यायालय को दृष्टांत में दिए गए उपधारणा को लागू करते समय इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। आगे यह भी निर्धारित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में चोरी के तत्काल पश्चात चोरी की वस्तुएं बरामद की जाती है तो उपधारणा लागू की जा सकती है। यद्यपि चोरी की घटना और किसी व्यक्ति के कब्जे में चोरी की संपत्ति बरामद होने के मध्य एक लंबी अवधि व्यतीत हो चुकी है उस स्थिति में न्यायालय के द्वारा धारा 114 के दृष्टांत (अ) के अंतर्गत उपधारणा को लागू किया जाना न्याय संगत नहीं होगा। आगे यह भी निर्धारित किया गया है कि प्रश्न यह है कि चोरी होने के कितने दिनों के पश्चात की अवधि को दृष्टांत (अ) की उपधारणा से बाहर रखा जा सकता है, यह चुराई गई वस्तु एवं प्रत्येक प्रकरण की परिस्थिति पर निर्भर करेगा।

28–**बैजू उर्फ भरोसा विरूद्व स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश (1978) 1 एस.सी.सी. 588** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा **वसीम खान** (सुप्रा) एवं **अलीशेर** (सुप्रा) के आलोक में साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (अ) के उपधारणा पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि यह विषय प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं प्रत्येक मामलों की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। माननीय न्यायाधीशगण ने आगे साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (अ) के उपबंध को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर भी ध्यान आकर्षित किया है–

1. चोरी की गई वस्तु की प्रकृति,
2. अभियुक्त के द्वारा उसे प्राप्त करने का तरीका,
3. उसकी शिनाख्त के संबंध में साक्ष्य की प्रकृति,
4. अभियुक्त के द्वारा उसे किस प्रकार से निपटाया गया,
5. बरामदगी का स्थान एवं परिस्थितियां,
6. बीच की अवधि का अंतराल, और
7. अभियुक्त की अपने कब्जे की वस्तु के संबंध में स्पष्टीकरण देने की क्षमता,

ऐसे कारक होते है जिसे निर्णय पर पहुंचने के पूर्व ध्यान में रखा जाना चाहिए।

29–इसके पश्चात **गुलाबचंद विरूद्व स्टेट ऑफ एम.पी. (1995) 3 एस.सी.सी. 574** के मामले में **तुलसीराम कानू** (सुप्रा) में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के परिपेक्ष्य में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (अ) के संबंध में उपधारणा को ''महत्वपूर्ण समय कारक'' के साथ पढ़ा जाना चाहिए और हत्या के तत्काल पश्चात मृतक के कब्जे की संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से बरामद की जाये, तब उस स्थिति में उसके दोषी होने की उपधारणा की अनुमति दी जा सकती है, परंतु यदि कई महीने की अवधि व्यतीत हो चुकी हो तो प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए कोई

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपधारणा की अनुमति नही दी जा सकती है।

30—इसी प्रकार **<u>जॉर्ज विरूद्व स्टेट ऑफ केरला(2002) 4 एस.सी.सी. 475</u>** के मामले में पूर्व में **<u>बैजू</u>** (सुप्रा) में दिए गए निर्णय का अवलंबन लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (अ) में प्रयुक्त वाक्यांश ''ठीक पश्चात'' पर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्धारित किया है—

> ''7. मृतक से संबंधित वस्तुओं की बरामदगी 24घंटे से कम समय के भीतर ही उसके कब्जे से पाया गया जिसकी पहचान साक्षियों के द्वारा स्पष्ट रूप से की गई। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (अ) के अंतर्गत उपधारणा करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति है जिसने लूट कारित किया है, जो धारा 392 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अ.सा.10, 12 एवं 13 के कथनानुसार मृतक कह रहा था ''तुम जो चाहते हो ले जाओ मुझे छोड़ दो जो यह दर्शित करता है कि वह किसी आंशका या डर के अध्याधीन था।''

31— वर्तमान मामले के तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों को जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण के द्वारा धारा 114 के दृष्टांत (अ) के संबंध में प्रयोग किया गया है, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के कब्जे में मृतिका की हत्या के तत्काल पश्चात् मृतिका के आभूषणों को पाया गया है इसलिए यह पर्याप्त रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा तुलसीराम कानू (सुप्रा) में धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दृष्टांत (अ) के महत्वपूर्ण समय के कारकों के संबंध में दिए गए शर्तो की पूर्ति करता है, मृतिका के कब्जे की वस्तुओं की पहचान को उसकी पुत्री गीताबाई (अ.सा.2) के द्वारा स्पष्ट रूप से पहचाना गया है कि उक्त वस्तुएं मृतिका की थी। घ टना दिनांक 14.09.2011 को सुबह 10:00 बजे और शाम 05:00 बजे के मध्य के है और दिनांक 14.09.2011 को रात्रि 09:05 बजे ही थाने में सूचना दी गई थी एवं सूचना के 24 घंटे के तत्काल भीतर दिनांक 15.09.2011 को दोपहर अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन के आधार पर अपीलार्थी के कब्जे से आभूषणों को जप्त किया गया है, और जप्तशुदा आभूषणों की स्पष्ट पहचान मृतिका की पुत्री गीताबाई (अ.सा.2) के द्वारा पहचान की कार्यवाही प्र.पी.6 के अनुसार की गई है जो विजय कुमार (अ.सा.4) एवं चिमनलाल पटेल (अ.सा.8) के द्वारा भी स्पष्ट रूप से साबित की गई है। अपीलार्थी को आवश्यक था कि वह अपने अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. में जप्तशुदा आभूषणों के संबंध में स्पष्टीकरण दे परंतु उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, यह धारा—114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दृष्टांत (अ) के संबंध में दिए गए उपधारणा को आकर्षित करता है और इस प्रकार हत्या एवं लूट एक—दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए धारा 114 के दृष्टांत (अ) की उपधारणा लागू होगी एवं यह निर्धारित किया जाता है कि विचारण न्यायालय ने सही अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी ने न केवल मृतिका की हत्या कारित की है बल्कि उसके सोने एवं चांदी के आभूषणों की लूट भी कारित की है जो कि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

एक ही संव्यवहार है तथा अपीलार्थी के अपराध संलिप्तता के संबंध में अभियोजन के द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

32— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **<u>ईराभद्रप्पा उर्फ कृष्णप्पा</u>** (सुप्रा) में उच्चतम न्यायालय ने इसी प्रकार के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त के द्वारा चुराई हुई संपत्ति के संबंध में जहां संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया जाकर केवल इंकार किया जाता है जैसा कि इस मामले में भी कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण नही दिया गया है, बल्कि इंकार किया गया है, माननीय न्यायाधीशगण ने यह निर्धारित किया कि गलत रूप से इंकार किया जाना स्वयं दोषपूर्ण परिस्थिति है। (देखें कंडिका 13)

33—अब अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिनके द्वारा पहचान की कार्यवाही करायी गई है उसका परीक्षण न्यायालय के समक्ष नहीं कराया गया है इसलिए पहचान की संपूर्ण कार्यवाही प्र.पी.6 विधि के अनुसार साबित नहीं की गई है और इस आधार पर अभियोजन पक्ष अपने स्वतः के पैरो पर खड़ा नहीं है और निरस्त किये जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34—इस तर्क के परिपेक्ष्य में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 291—अ जो मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई पहचान की रिपोर्ट से संबंधित है पर विचार किया जाना उचित होगा और जिसमें निम्नलिखित कहा गया है—

> **291—क. मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट—**(1) कोई दस्तावेज, जिसका किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के संबंध में किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्वहस्ताक्षरित शिनाख्त रिपोर्ट होना तात्पर्यित है, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा, यद्यपि ऐसे मजिस्ट्रेट को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया हैः
>
> परंतु जहां ऐसी रिपोर्ट में ऐसे, किसी संदिग्ध व्यक्ति या साक्षी का विवरण है, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872(1872 का 1) की, यथास्थिति धारा 21, धारा 32, धारा 33, धारा 155 या धारा 157 के उपबन्ध लागू होते हैं, वहां, ऐसा विवरण इस उप धारा के अधीन उन धाराओं के उपबन्धों के अनुसार के सिवाय, उपयोग में नहीं लाया जाएगा।
>
> (2) न्यायालय, यदि वह ठीक समझता है और अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे मजिस्ट्रेट को समन कर सकेगा और उक्त रिपोर्ट की विषयवस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकेगा और करेगा।

35—उपरोक्त प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2005 (25 का 2005) द्वारा जोड़ा गया है और दिनांक 23.06.2006 से प्रभावशील है। संहिता के इस प्रावधान के अंतर्गत शिनाख्ती ज्ञापन को साबित करने के लिए आवश्यक है कि जिसने शिनाख्ती की कार्यवाही को संपादित किया है, उस मजिस्ट्रेट के द्वारा,

न्यायालय में साबित किया जाए, ये तथ्य सामान्यतः विवादित नहीं है। न्यायालय के समय को बचाने के लिए इस विचार के साथ की मजिस्ट्रेट के द्वारा तैयार किए गए ज्ञापन को उसमें वर्णित तथ्यों के औपचारिक सबूत के बिना साक्ष्य में ग्राह्य करने के उद्देश्य से धारा 291–अ को नये धारा के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। इसी में यह भी प्रावधान किया गया है कि न्यायालय को यदि यह उचित प्रतीत होता है तब उस स्थिति में अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर समंस जारी कर ऐसे मजिस्ट्रेट का परीक्षण शिनाख्ती की कार्यवाही की अंतर्वस्तु को साबित कराने के लिए कर सकता है।

36–इस प्रकार प्र.पी.6 जो संपत्ति के संबंध में है, को तहसीलदार जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी है, के द्वारा तैयार किया गया है जिसे विचारण के दौरान साक्ष्य में उपयोग में लाया जा सकता है। यद्यपि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बतौर साक्षी के रूप में आहूत नहीं किया गया है किंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 291–अ की उपधारा (1) यह उपबंधित करती है कि जहां ऐसी रिपोर्ट में किसी संदिग्ध या साक्षी का कथन जिस पर धारा–21,32,33,155या धारा 157 साक्ष्य अधिनियम, जैसे भी प्रकरण की स्थिति हो, ऐसा कथन सिवाय उन धाराओं में किए गए प्रावधान के अतिरिक्त इस उपधारा के अंतर्गत उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा। यद्यपि धारा 291–अ की उपधारा (2) में यह स्पष्ट उपबंधित किया गया है कि न्यायालय यदि ठीक समझे तब अभियोजन अथवा अभियुक्त के आवेदन के आधार पर समंस जारी कर ऐसे मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट की अंतर्वस्तु को साबित करने के लिए बुलाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37–इस मामले में यह स्पष्ट है कि यद्यपि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शिनाख्ती रिपोर्ट (प्र.पी.6) को विचारण के दौरान उपयोग में लाया गया है किंतु उसे साक्षी के रूप में आहूत नहीं किया गया है, अभी तक धारा 291–अ की उपधारा (2) के प्रावधानों के अंतर्गत अभियुक्त के आवेदन पर उसे आहूत किया जा सकता था और उस रिपोर्ट के संबंध में परीक्षण कराया जा सकता था परंतु यहां अपीलार्थी के द्वारा धारा 291–अ (2) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया और उसने विचारण के दौरान प्रतिपरीक्षण के लिए (यदि कोई हो) कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्र.पी.6 की रिपोर्ट के संबंध में बतौर साक्षी आहूत कराना उचित नहीं समझा एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार डी. सी. बंजारे जिनके द्वारा जप्तशुदा वस्तुओं की पहचान की कार्यवाही कराई गई थी उसके परीक्षण नहीं कराये जाने के आधार पर लाभ प्राप्त करना चाहता है। धारा–291–अ (2) दंड प्रक्रिया संहिता जैसे वैधानिक प्रावधान को अधिनियमित किया गया है की पक्षकारों का यह अधिकार है कि यदि आवश्यक हो, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट का परीक्षण कराने के लिए उन्हें आहूत कर सकते हैं या तो अभियुक्त के द्वारा या अभियोजन के द्वारा पहचान की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए जैसे प्रकरण की परिस्थिति हो। परंतु अपीलार्थी को जानकारी होने के पश्चात भी उसने उपरोक्त प्रावधान का उपयोग विचारण के दौरान नहीं किया और न ही इस अवसर का लाभ उठाया जिसके कारण अपीलार्थी के द्वारा अपने अधिकार का त्याग कर दिया गया। वैधानिक प्रावधान उन

प्रावधानों का प्रयोग करने के लिए है जो उस पक्षकार के द्वारा सोचा जाता है कि वह उस प्रावधान का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है किंतु उक्त प्रावधान का उपयोग विधिक कार्यवाही से बाहर निकलने के लिए नहीं किया जा सकता है जो विधि में दिया गया है और इस तरह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 291–अ जैसे प्रावधान को अधिनियमित करने से परे आशय को विफल करने के लिए उक्त प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सकता।

38–इस प्रकार यह आपत्ति की प्र.पी.6 को साबित करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट का परीक्षण नहीं कराया गया है को निरस्त किया जाता है क्योंकि गीताबाई (अ.सा.2) ने प्र.पी.6 को साबित किया है तथा प्र.पी.6 का एक साक्षी चिमनलाल पटेल जिसे (अ.सा.8) के रूप में परीक्षित कराया गया है, उसने भी इस तथ्य को पूर्ण रूप से साबित किया है कि प्र.पी.6 की कार्यवाही विधि के अनुसार की गई थी। इसलिए इस संबंध में की गई आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

39–उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हमारा यह अभिमत है कि अभियोजन ने इस तथ्य को साबित करने में पूर्णतः सक्षम रहा है कि अपीलार्थी मृतिका की संपत्ति पर नजर गढ़ा कर रखते हुए घटना दिनांक के एक सप्ताह पूर्व मृतिका के घर में मुलाकात कर संबंध बनाया जैसा कि गीताबाई (अ.सा.2) के कथन से स्पष्ट है और मृतिका की कमजोर एवं बुजुर्ग अवस्था का लाभ उठाते हुए उस दुर्भाग्यशाली दिन जब मृतिका घर में अकेली थी तथा गीताबाई एवं परिवार के अन्य सदस्य घर में उपस्थित नहीं थे, मृतिका के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित कर उसकी हत्या किया और सोने एवं चांदी के आभूषण की लूट कारित किया एवं प्रकटीकरण कथन प्र.पी.9 के आधार पर जप्तशुदा वस्तुओं की पहचान गीताबाई (अ.सा.2) ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा करायी गई शिनाख्ती की कार्यवाही में जप्तशुदा वस्तुएं उसकी मां (यहां मृतक) की होने के संबंध में पहचान किया है। अपीलार्थी घटना दिनांक एवं समय के 24घंटे के भीतर उसके कब्जे से जो आभूषण बरामद किए गए हैं, उस तथ्य का स्पष्टीकरण देने में पूर्णतः असफल रहा है और मिथ्या स्पष्टीकरण दिया गया है जो स्वयं अपने आप में दोषपूर्ण परिस्थिति है।

40–उपरोक्त विवेचन उपरांत विचारण न्यायालय ने यह निर्धारित करने में कि अपीलार्थी के द्वारा ही घटना कारित किया गया है, पूर्णतः न्यायसंगत है और इस प्रकार विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को धारा–450, 392 सहपठित धारा 397 एवं 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत सिद्धदोष ठहराया जाना विधि सम्मत है।

41–उपरोक्त कारणों से हमें इस अपील में कोई आधार नहीं दिखता है और खारिज किए जाने योग्य है और तद्नुसार खारिज किया जाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सही / –
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही / –
(राकेश मोहन पाण्डेय)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur